



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 30 अप्रैल, 1984

वैशाख 10, 1906 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 939/सतह-वि०-1-1 (ब.) 36-1983

लखनऊ, 30 अप्रैल, 1984

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल-महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा-परीक्षा विधेयक, 1984 पर दिनांक 29 अप्रैल, 1984 ई० की अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 1984 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनायें इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा-परीक्षा अधिनियम, 1984

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 1984]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य में स्थानीय प्राधिकारियों के प्रवन्ध या नियंत्रण में स्थानीय निधियों और कतिपय निगमित और अनिगमित निकायों की निधियों की लेखा-परीक्षा की व्यवस्था करने और उसको विनियमित करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा-परीक्षा अधिनियम, 1984 कहा जायगा।

सक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारम्भ

- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।
 (3) यह ऐसे दिनोंक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे।

परिभाषाएं

2—इस अधिनियम में,—

- (क) "लेखा परीक्षा" के अन्तर्गत सांकेतिक लेखा-परीक्षा, समवर्ती लेखा-परीक्षा, शत प्रतिशत लेखा-परीक्षा और विशेष लेखा-परीक्षा और धारा 3 के अधीन नियुक्त अधिकारियों द्वारा लेखा का निरीक्षण भी है;
 (ख) "लेखा-परीक्षक" के अन्तर्गत उसकी सहायता के लिये धारा 3 के अधीन नियुक्त निदेशक और समस्त अन्य अधिकारी भी हैं;
 (ग) "निदेशक" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन नियुक्त निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश से है और इसके अन्तर्गत ऐसा अधिकारी भी है जिसे उक्त धारा की उपधारा (4) के अधीन निदेशक की शक्तियाँ प्रदान की जायें;
 (घ) "स्थानीय प्राधिकारी" का तात्पर्य नगरपालिका या नगर मंहापालिका, नोटी-काइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, जिला परिषद्, क्षेत्र समिति, गांव सभा या ऐसे किसी अन्य प्राधिकारी से है जिसे स्वायत्त शासन या ग्राम प्रशासन के प्रयोजन के लिये गठित किया गया हो या जो नगरपालिका या स्थानीय निधि का नियंत्रण या प्रबन्ध करने के लिये विधिसम्य रूप से हकदार हो या जिसे राज्य सरकार द्वारा ऐसा कार्य सौंपा गया हो और इसके अन्तर्गत निगमित या अनिगमित कोई सोसाइटी, निकाय या संस्था भी है जिसे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा, सामान्य या विशेष आदेश से, स्थानीय प्राधिकारी अधिसूचित किया गया हो;
 (ङ) किसी स्थानीय प्राधिकारी के सम्बन्ध में, "प्रधान अधिकारी" का तात्पर्य उसके ऐसे अधिकारी से है जिसे राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाय;
 (च) (एक) किसी स्थानीय प्राधिकारी के सम्बन्ध में, "विशेष लेखा परीक्षा" का तात्पर्य किसी विनिर्दिष्ट अवधि के ऐसे लेखा या किसी विनिर्दिष्ट लेखा मद या मदोंकी श्रेणियों की जिसमें सर्वांगीण जांच की आवश्यकता है, परीक्षा से है जो राज्य सरकार के आदेश से या स्थानीय प्राधिकारी के प्रधान अधिकारी के अनुरोध पर की जाय;
 (दो) "सांकेतिक लेखा परीक्षा" का तात्पर्य प्रतिवर्ष के वार्षिक लेखा की सामान्य समीक्षा सहित ऐसी लेखा-परीक्षा से है जो वर्ष के किसी एक या अधिक मास के जिसका चयन लेखा परीक्षक द्वारा अतर्कित रूप से किया जाय, लेखा का हो और जिसका संचालन उसके विवेकानुसार शतप्रतिशत आधार पर किया जाय;
 (तीन) "समवर्ती लेखा परीक्षा" का तात्पर्य समय-समय पर दिन प्रतिदिन के लेखा के कार्योंत्तर लेखा परीक्षा और लेखा के सामान्य समीक्षा से है;
 (चार) "शत प्रतिशत लेखा परीक्षा" का तात्पर्य किसी विनिर्दिष्ट अवधि के विशिष्ट लेखा के समस्त संव्यवहारों के कार्योंत्तर लेखा परीक्षा से है;
 (छ) "विहित प्राधिकारी" का किसी स्थानीय प्राधिकारी के सम्बन्ध में तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त, अधिसूचना द्वारा, नियुक्त किसी अधिकारी या निगमित निकाय से है।

निदेशक और अन्य लेखा परीक्षा अधिकारियोंकी नियुक्ति

3—(1) स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग का निदेशक होने के लिये एक व्यक्ति की और उसकी सहायता के लिये निम्नलिखित श्रेणी के अधिकारियों की नियुक्ति की जायगी, अर्थात्—

- (क) उप निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग;
 (ख) सहायक निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग;
 (ग) जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा;
 (घ) ज्येष्ठ लेखा परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा;
 (ङ) लेखा परीक्षक स्थानीय निधि लेखा;
 (च) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अन्य अधिकारी।

(2) राज्य सरकार, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो उसके द्वारा अवधारित किये जायें निदेशक और प्रत्येक ऐसे अधिकारी को जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट है, नियुक्त कर सकती है और उनके कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में उपबन्ध कर सकती है।

(3) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त व्यक्ति ऐसे क्षत्र के भीतर जिसे नियुक्ति प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करे, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उनको प्रदत्त किये जायें या उन पर आरोपित किये जायें।

(4) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी अधिकारी को, जो सहायक निदेशक, स्थानीय तिथि लेखा परीक्षा विभाग की श्रेणी से नीचे न हो, धारा 4 की उपधारा (4) या धारा 6 या धारा 7 या धारा 8 या धारा 9 के अधीन निदेशक की शक्तियाँ प्रदान कर सकती है।

4--(1)--राज्य सरकार, समय-समय पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसे स्थानीय प्राधिकारियों को विनिर्दिष्ट कर सकती है जिनके लेखा की परीक्षा की जानी है।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी होने पर, ऐसे स्थानीय प्राधिकारी के लेखा की परीक्षा पूर्णतया, ऐसी किसी अधिनियमित में, जिसके द्वारा या अधीन स्थानीय प्राधिकारी का गठन किया गया है, या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम में किसी बात के होते हुये भी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपबंधित रीति से की जायगी।

(3) स्थानीय प्राधिकारी जिसके लेखा की परीक्षा उपधारा (2) के अधीन की जानी हो, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर पर लेखा-परीक्षा फीस का भुगतान करेगा।

(4) यदि उपधारा (3) के अधीन उद्ग्रहणीय लेखा-परीक्षा फीस का ज्ञापन प्राप्त होने के एक मास के भीतर स्थानीय प्राधिकारी के प्रमुख अधिकारी द्वारा सरकारी कोषागार में लेखा-परीक्षा फीस का भुगतान न किया जाय तो राज्य सरकार या राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से जिला मजिस्ट्रेट इस निदेश के साथ बैंकर या उस व्यक्ति को जिसकी अभिरक्षा में ऐसे स्थानीय प्राधिकारी की निधि है, आदेश दे सकता है कि वह ऐसी निधि से सरकारी कोषागार में, चाहे एकमुश्त या किस्तों में जैसा आदेश में निदेशित हो, लेखा-परीक्षा फीस की धनराशि का भुगतान कर दे और बैंकर या ऐसे अन्य व्यक्ति आदेश का पालन करने के लिये बाध्य होगा। ऐसा न करने पर लेखा-परीक्षा फीस की धनराशि भू-राजस्व के बकाये की भाँति वसूल की जायगी।

5--ऐसे स्थानीय प्राधिकारी का जिसके लेखा की परीक्षा धारा 4 के अधीन की जानी है प्रमुख अधिकारी लेखा-परीक्षा के लिये सभी लेखा, विवरणियाँ, रजिस्टर, पत्रावलि और पत्राचार या ऐसे किसी अन्य दस्तावेज को जिनकी लेखा परीक्षकों द्वारा मांग की जाय, प्रस्तुत करेगा या करायेगा।

6--(1) इस अधिनियम के अधीन किसी लेखा-परीक्षा के प्रयोजनार्थ, कोई लेखा परीक्षक--

(क) स्थानीय प्राधिकारी के प्रमुख अधिकारी से ऐसा बाउचर, विवरणी, लेखा, रजिस्टर, पत्रावली और पत्राचार या लेखा के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज, जिसे लेखा परीक्षक उचित समझे, ऐसे स्थान पर जहाँ लेखा परीक्षक निदेश दे निर्दिष्ट युक्तियुक्त समय के भीतर प्रस्तुत करने या कराने की लिखित रूप में अपेक्षा कर सकता है;

(ख) लिखित रूप में--

(एक) स्थानीय प्राधिकारी के किसी ऐसे वृत्तनिक सेवक से जो ऐसे बाउचर विवरणी, लेखा, रजिस्टर, पत्रावली और पत्राचार या अन्य दस्तावेज के लिये उत्तरदायी हो या जिसकी अभिरक्षा या नियंत्रण में वे हों, स्वयं उपस्थित होने की अपेक्षा कर सकता है, या

(दो) ऐसे व्यक्ति से जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्थानीय प्राधिकारी के अधीन किसी कार्य में कोई अंश या हित हो या ऐसे किसी व्यक्ति से जिसकी उपस्थिति किसी कठिनाई या परिस्थिति को स्पष्ट करने के लिये आवश्यक हो, स्वयं या किसी प्राधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से, आदेश में निदेशित स्थान पर उसके समक्ष उपस्थित होने और किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिये अपेक्षा कर सकता है;

(ग) स्थानीय प्राधिकारी के प्रधान अधिकारी से ऐसे स्थान पर, जहाँ लेखा की परीक्षा की जा रही हो या ऐसे अन्य स्थान पर जहाँ लेखा परीक्षक निदेश दे, उससे मिलने और उस बिन्दु को जिस पर स्पष्टीकरण अपेक्षित हो, लिखित रूप में विनिर्दिष्ट करने की अपेक्षा कर सकता है।

(2) लेखा परीक्षक उपधारा (1) के अधीन भेजे गये किसी अधियाचन या सूचना में युक्तियुक्त अवधि निर्धारित कर सकता है जो कम से कम तीन दिन की होगी जिसके भीतर उक्त अधियाचन या सूचना का पालन किया जायगा।

(3) लेखा परीक्षक स्थानीय प्राधिकारी को जिसके लेखा की परीक्षा की जानी हो, जिस दिनांक से लेखा-परीक्षा प्रारम्भ करने का उसका प्रस्ताव हो, उसकी सूचना कम से कम दो सप्ताह पूर्व लिखित रूप में देगा :

परन्तु लेखा परीक्षक, अत्प्रावधि की सूचना देकर या कोई सूचना दिये बिना, उसके कारणों को अभिलिखित करते हुये, लेखा-परीक्षा स्वप्ररणा से प्रारम्भ कर सकता है और राज्य सरकार या निदेशक के निदेश पर प्रारम्भ करेगा।

(4) निदेशक को इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन करने के संबंध में निम्न लिखित प्राधिकार होगा :--

लेखा जिसकी परीक्षा जायगी और लेखा-परीक्षा फीस का भुगतान

लेखा-परीक्षा के लिये अभिलेखों का प्रस्तुत किया जाना

अभिलेख प्रस्तुत करने और व्यक्तियों से उपस्थित होने के लिये लेखा परीक्षक की अपेक्षा करने की शक्ति

(क) किसी स्थानीय प्राधिकारी के, जो उसके लेखा-परीक्षा प्रभार में हो, लेखा का निरीक्षण करना, जिसके अन्तर्गत नकद, मूल्यवान वस्तुओं और स्टोर का भौतिक सत्यापन भी है;

(ख) यह अपेक्षा करना कि ऐसा कोई रजिस्टर, बही, पत्रादि और अन्य दस्तावेज, जो ऐसे संव्यवहार से जिसकी लेखा-परीक्षा करना उसकी सीमा में आता हो, संबंधित या उसका आधार हो या अन्यथा उससे सुसंगत हो, ऐसे स्थान पर और ऐसे दिनांक को जिसे वह अपने निरीक्षण के लिये नियत करे, भेज दिये जायं,

(ग) कार्यालय के प्रभारी व्यक्ति से ऐसे प्रश्न पूछना या ऐसी टिप्पणी करना जिसे वह आवश्यक समझे और ऐसी सूचना मांगना जिसे वह लेखा-परीक्षा के प्रयोजन के लिये या किसी लेखा या रिपोर्ट को जिसे तैयार करना उसका कर्तव्य है, तैयार करने के लिये अपेक्षा करे।

धारा 6 के अधीन अधियाचन की भवज्ञा करने के लिये शास्ति

7--(1) कोई व्यक्ति जो उससे धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) या खण्ड (ग) या उपधारा (4) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन विधिपूर्वक की गयी किसी अधियाचन की जान बूझकर उपेक्षा करता है या उसका पालन करने से इन्कार करता है वह किसी भी प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि छ मास तक हो सकती है या जुर्माना से जो, एक हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2) इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही निदेशक की लिखित स्वीकृति के बिना संस्थित नहीं की जायगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन ऐसी स्वीकृति देने के पूर्व निदेशक उस व्यक्ति से जिसके विरुद्ध कार्यवाही संस्थित की जानी हो, यह कारण बताने को कहेगा कि स्वीकृति क्यों न दी जाय।

(4) प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

लेखा परीक्षा रिपोर्ट सम्बद्ध स्थानीय प्राधिकारी और कुछ अन्य अधिकाधिकारियों और निकायों को भेजी जायगी

8--(1) लेखा परीक्षा कार्य सम्पन्न होने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से लेखा परीक्षा का परिणाम ऐसे प्रपत्र में और ऐसा विवरण देते हुए, जैसा विहित किया जाय, निम्नलिखित दो भागों, में स्थानीय प्राधिकारी के प्रमुख अधिकारी को संसूचित किया जायगा, अर्थात्--

(एक) सामान्य और महत्वपूर्ण विषयों पर जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, उनका विवेचन करने वाली लेखा परीक्षा और निरीक्षण टिप्पणी; और

(दो) आपत्तियों का विवरण-पत्र जिसमें गौण और प्राविधिक अनियमितताओं से संबंधित अशोधित आपत्तियां दी गयी हों।

(2) लेखा परीक्षा और निरीक्षण टिप्पणी की प्रतियां ऐसे अधिकारियों और प्राधिकारियों को भी भेजी जायेंगी जिन्हें निदेशक द्वारा आवश्यक समझा जाय।

(3) निदेशक लेखा की एक संहत लेखा-परीक्षा रिपोर्ट तैयार करेगा या करायेगा और उसे राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाने के लिये राज्य सरकार को प्रति वर्ष भेजेगा।

धारा 8 के अधीन निदेशक की रिपोर्ट के पश्चात् अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया

9--(1) धारा 8 के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर, स्थानीय प्राधिकारी का प्रमुख अधिकारी तत्काल कार्यवाही करेगा और उसमें उठाये गये प्रत्येक बिन्दु पर एक मास के भीतर उत्तर लेखबद्ध करेगा जिसमें उस बिन्दु पर की गयी या किये जाने के लिये प्रस्तावित कार्यवाही दक्षित होगी। तत्पश्चात् लेखा परीक्षा रिपोर्ट और प्रमुख अधिकारी की टिप्पणी पर सम्बद्ध स्थानीय प्राधिकारी की विशेष बैठक में, जो लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति के दिनांक से तीन मास के भीतर होगी, विचार किया जायगा और विनिश्चय किया जायगा।

(2) प्रधान अधिकारी का कर्तव्य और दायित्व यह देखना होगा कि लेखा परीक्षा टिप्पणी और आपत्तियों के विवरण-पत्र में इंगित त्रुटियों और अनियमितताओं का निवारण या निपटारा शीघ्रता और सम्यक् तत्परता से कर दिया जाय।

(3) प्रमुख अधिकारी की टिप्पणी और प्रत्येक बिन्दु पर स्थानीय प्राधिकारी के विनिश्चय सहित लेखा परीक्षा रिपोर्ट की टिप्पणीयुक्त प्रति निदेशक या उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी को उपधारा (1) में निर्दिष्ट बैठक होने के एक मास के भीतर भेजी जायगी। टिप्पणीयुक्त प्रति में प्रत्येक पैरा के सामने अनियमितताओं के लिये उत्तरदायी पदधारी का नाम और उनके विरुद्ध की गयी या की जाने के लिये प्रस्तावित कार्यवाही दक्षित की जायगी। लेखा-परीक्षा आपत्तियों के निस्तारण के संबंध में आगे पत्र-व्यवहार सीधे स्थानीय प्राधिकारी और निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के बीच किया जायगा।

(4) प्रमुख अधिकारी की टिप्पणी और स्थानीय प्राधिकारी के विनिश्चय सहित लेखा परीक्षा की टिप्पणीयुक्त प्रति प्राप्त होने पर, निदेशक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी रिपोर्ट में उचित समस्त या किन्हीं विषयों के संबंध में--

(क) स्थानीय प्राधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही को स्वीकार कर सकता है और आपत्ति का निपटारा कर सकता है; या

(ख) निदेश दे सकता है कि विषय पर अतिरिक्त-अन्वेषण अगली लेखा-परीक्षा में या किसी और पूर्वतर दिनांक को किया जाय; या

(ग) यह धारण कर सकता है कि रिपोर्ट में इंगित त्रुटियों या अनियमितताओं या उनमें से किसी का निराकरण या प्रतिकार नहीं किया गया है।

(5) यदि यह धारणा है कि रिपोर्ट में इंगित स्थानीय प्राधिकारी के लेखा की किसी त्रुटि या अनियमितता का निराकरण या प्रतिकार युक्तियुक्त समय के भीतर नहीं किया गया है तो निदेशक ऐसे मामले को विहित प्राधिकारी और राज्य सरकार की जानकारी में विशेष रूप से लायेगा और राज्य सरकार तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रहते हुए, किसी ऐसी कार्यवाही का निदेश दे सकती है जो आवश्यक समझी जाय, अर्थात्—

(1) किसी ऐसे व्यक्ति का अभियोजन जो, यथास्थिति, त्रुटि या अनियमितता के लिये उत्तरदायी हो;

(2) स्थानीय प्राधिकारी का विघटन;

(3) स्थानीय प्राधिकारी का अतिक्रमण;

(4) ऐसे स्थानीय प्राधिकारी को सहायता-अनुदान का निलगवन;

(5) स्थानीय प्राधिकारी के किसी अधिकारी या सेवक के विरुद्ध विभागीय जांच;

(6) स्थानीय प्राधिकारी के प्रमुख अधिकारी का हटाया जाना।

(6) उपधारा (5) के अधीन कार्यवाही की संस्तुति करते समय, निदेशक ऐसी किसी सूचना की ओर विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट करेगा जिससे उसे यह प्रतीत हो कि वह ऐसे अपराधिक दुर्विनियोग के आरोप या कपट का समर्थन करता है या जिस पर उसकी राय में विशेष ध्यान देना या तुरन्त कार्यवाही करना अपेक्षित है।

10—(1) यदि सम्बद्ध व्यक्ति को कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् निदेशक का समाधान हो जाय कि स्थानीय प्राधिकारी के किसी धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग अपचारी व्यक्ति के दुराचरण या उसकी ओर से घोर उपेक्षा के कारण हुआ है, या यह कि उक्त व्यक्ति ऐसा पक्ष है जो अवैध भुगतान करता है या ऐसा भुगतान करने के लिये प्राधिकृत करता है, तो निदेशक, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुये भी, लिखित आदेश द्वारा, ऐसे व्यक्ति को यह निदेश दे सकता है कि वह स्थानीय प्राधिकारी को विनिर्दिष्ट दिनांक के पूर्व ऐसी धनराशि, जो स्थानीय प्राधिकारी को उसके धन या सम्पत्ति की ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग की प्रतिपूर्ति करने के लिये न्याय संगत और साम्यपूर्ण पायी जाय, उस पर व्याज सहित भुगतान करे:

निदेशक अवैध भुगतान या घोर उपेक्षा या दुराचरण के कारण हुई हानि पर अधिभार लगायेगा

परन्तु प्रथमतः किसी स्थानीय प्राधिकारी के किसी प्रमुख अधिकारी, सदस्य या सेवक के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन अधिभार वा कोई आदेश ऐसे धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग होने के दिनांक से दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात् या उसके स्थानीय प्राधिकारी के प्रमुख अधिकारी, सदस्य या सेवक न रह जाने के दिनांक से छः वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, जो भी पश्चात्-वर्ती हो, नहीं दिया जायगा :

परन्तु द्वितीयतः यदि धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग किसी स्थानीय प्राधिकारी या उसकी किन्हीं समितियों या उप समितियों के किसी संकल्प के परिणामस्वरूप हुआ हो तो बसूल की जाने वाली हानि की धनराशि को समस्त सदस्यों में जिसके अन्तर्गत ऐसे पदाधिकारी भी है जिसके सम्बन्ध में स्थानीय प्राधिकारी या उसकी समितियों या उप समितियों के कार्यवृत्त में यह सूचना हो कि उन्होंने ऐसे संकल्प के संबंध में मत दिया था या वे तटस्थ रहे, बराबर-बराबर बांट दिया जायगा :

परन्तु तृतीयतः अतिक्रमित स्थानीय निकायों की स्थिति में, यदि धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग प्रशासक या प्रभारी अधिकारी की जो सरकारी सेवक हो, किसी कार्यवाही के कारण हुआ हो तो मामले की सूचना निदेशक द्वारा राज्य सरकार को आवश्यक कार्यवाही के लिये दी जायगी :

परन्तु चतुर्थतः किसी मृत अपचारी व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि का दायित्व मृतक की सम्पत्ति की उस सीमा तक होगा जो ऐसे विधिक प्रतिनिधि को प्राप्त हुई हो।

(2) यदि वह व्यक्ति जिसे उपधारा (1) के अधीन विनिश्चय की एक प्रति दी जाय, उसे लेने से इन्कार करे तो यह समझा जायगा कि उसने उसे उस दिन प्राप्त कर लिया है जिस दिन उसने प्रति लेने से इन्कार किया था।

(3) यदि वह अन्तिम आदेश के समय उपलब्ध न हो तो उसके प्रवर्ती भाग सहित उसका सारांश उसके अन्तिम ज्ञात पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा उसे भेज दिया जायगा या उसके अन्तिम ज्ञात निवास स्थान पर चिपका दिया जायगा और उस परिक्षेत्र में डुंगी पिटवाकर उसकी उद्घोषणा की जायगी और इससे यह उपधारणा की जायगी कि उसे सत्य रूप से तामील किया गया है।

THE UTTAR PRADESH LOCAL FUNDS AUDIT ACT, 1984

(U. P. ACT No. 12 GF 1984)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to make provision for, and to regulate audit of local funds under the management or control of local authorities and funds of certain corporate and non-corporate bodies in the State of Uttar Pradesh.

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-fifth Year of the Republic of India as follows :—

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Local Funds Audit Act, 1984.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf.

Definitions.

2. In this Act :—

(a) 'Audit' includes test audit, concurrent audit, cent-per-cent audit and special audit and also inspection of accounts by the officers appointed under section 3;

(b) 'auditor' includes the Director and all other officers appointed under section 3 to assist him;

(c) 'Director' means the Director, Local Fund Audit Department, Uttar Pradesh appointed under section 3 and includes an officer on whom powers of the Director are conferred under sub-section (4) of that section;

(d) 'local authority' means a municipal board or Nagar Palika or Nagar Mahapalika, Notified Area Committee, Town Area Committee, Zila Parishad, Kshetra Samiti, Gaon Sabha or any other authority constituted for the purpose of local self-Government or village administration or legally entitled to or entrusted by the State Government with the control or management of municipal or local fund and includes any society, body, or institution, whether incorporated or not, notified by the State Government by general or special order to be a local authority for the purposes of this Act;

(e) 'Principal Officer' in relation to a local authority means such officer thereof as may, from time to time, be specified by general or special order of the State Government;

(f) (i) 'special audit' in relation to a local authority means an audit of account for a specified period or pertaining to a specified item or series of items of account requiring exhaustive checking conducted under the orders of the State Government or on the request of the principal officer of a local authority;

(ii) 'test audit' means an annual audit of accounts of one or more months in a year selected at random by the auditor and conducted on percentage basis in his discretion with a general review of the accounts of the year;

(iii) 'concurrent audit' means a post audit of day-to-day accounts with a general review of the accounts from time to time;

(iv) 'cent per cent audit' means a post audit of all the transactions of a particular account of a specified period;

(g) 'Prescribed Authority' in relation to a local authority means an officer or a body corporate appointed by the State Government by notification in this behalf.

Appointment of Director and other Audit Officers.

3. (1) There may be appointed a person to be the Director, Local Fund Audit Department, and the following category of officers to assist him, namely,—

(a) Deputy Director, Local Fund Audit Department;

- (b) Assistant Director, Local Fund Audit Department;
- (c) District Audit Officer, Local Fund Accounts;
- (d) Senior Auditor, Local Fund Accounts;
- (e) Auditor, Local Fund Accounts;
- (f) Any other officer appointed by the State Government.

(2) The State Government may, on such terms and conditions, as may be determined by it, appoint the Director, and every such officer, as is referred to in sub-section (1) and may make provisions with regard to the appointment and conditions of service of their staff.

(3) The persons appointed under sub-section (2) shall within such area as the appointing authority may specify, exercise such powers and perform such duties as may be conferred or imposed on them by or under this Act.

(4) The State Government may, by notification, confer upon any officer not below the rank of an Assistant Director, Local Fund Audit Department the powers of the Director under sub-section (4) of section 4 or section 6 or section 7 or section 8 or section 9.

4. (1) The State Government may, from time to time, by notification, specify the local authorities, accounts of which are to be audited.

Accounts subject to audit and payment of audit fees.

(2) On the issue of a notification under sub-section (1) the accounts of the local authority shall, notwithstanding anything contained in any enactment by or under which such local authority is constituted or in any rules made thereunder, be subject to audit in all respects in the manner provided by or under this Act.

(3) The local authority whose accounts are to be audited under sub-section (2) shall be liable to pay audit fees at the rates fixed by the State Government from time to time.

(4) If within one month of the receipt of a memorandum of audit fee leviable under sub-section (3), the audit fee is not paid by the Principal Officer of the local authority into the Government Treasury, the State Government or the District Magistrate, with the prior sanction of the State Government, may make an order directing the banker or person having the custody of the funds of such local authority to pay the amount of audit fee from such fund into the Government Treasury, whether in lump sum or in instalments as directed in the order, and the Banker or such other person shall be bound to comply with the order, failing which the amount of audit fee shall be recovered as arrears of land revenue.

5. The principal officer of the Local Authority accounts of which are subject to audit under section 4 shall produce or cause to be produced for audit all accounts, returns, registers, files and correspondence or any other documents as may be demanded by the auditors.

Production of Records for Audit.

6. (1) For the purpose of any audit under this Act, an auditor may—

(a) require the Principal Officer of the Local Authority in writing to produce or cause to be produced such vouchers, returns, accounts, registers, files and correspondence or any other documents in relation to accounts, as the auditor may think fit, at such place as the auditor may direct at or within a reasonable given time.

Power of Auditor to require production of records [and attendance of persons.

(b) require in writing—

(i) any salaried servant of the local authority accountable for, or having the custody or control of, such vouchers, returns, accounts, registers, files and correspondence or other documents to appear in person, or

(ii) any person having directly or indirectly any share or interest in any work under the local authority or any person whose presence is deemed necessary for explaining any difficulty or circumstance,

to appear in person or by an authorised agent before him, at the place directed in the order and answer any question.

(c) require the Principal Officer of the local authority, to meet him at a place, where the audit of the accounts is being conducted or such other place, as the auditor may direct, and specify in writing the point on which the explanation is required.

(2) The auditor may, in any requisition or intimation sent under sub-section (1), fix a reasonable period not being less than three days within which the said requisition or intimation shall be complied with.

(3) The auditor shall give to the local authority whose accounts are to be audited not less than two weeks' notice in writing of the date on which he proposes to commence the audit:

Provided that the auditor may, on his own motion and shall on direction by the State Government or the Director commence the audit by giving a shorter notice or without giving any notice recording the reasons therefor in writing.

(4) The Director shall, in connection with the performance of his duties under this Act, have authority—

(a) to inspect the accounts of any local authority which is under his audit charge, including physical verification of cash, valuables and stores;

(b) to require that any registers, books, papers and other documents which deal with or form the basis of or are otherwise relevant to the transactions to which his duties in respect of audit extend, shall be sent to such place and on such dates as he may appoint for his inspection;

(c) to put such questions or make such observations as he may consider necessary, to the person in charge of the office and to call for such information as he may require for the purpose of the audit or the preparation of any account or report which it is his duty to prepare.

Penalty for disobeying requisition under section 6.

7. (1) Any person who wilfully neglects or refuses to comply with any requisition lawfully made upon him under clause (a) or clause (b) or clause (c) of sub-section (1) or clause (a) or clause (b) or clause (c) of sub-section (4) of section 6 shall be liable to imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or fine, upto rupees one thousand, or both.

(2) No proceedings under this section shall be instituted except on the written sanction of the Director.

(3) Before giving sanction under sub-section (2) the Director shall call upon the person against whom the proceedings are to be instituted to show cause why the sanction should not be given.

(4) No court inferior to that of a Magistrate of the First class shall try any offence under this Act.

Audit report to be sent to concerned Local Authority and certain other officers and bodies.

8. (1) As soon as practicable after completion of the audit, the result of audit shall be communicated to the Principal Officer of the local authority in such form and containing such particulars as may be prescribed, in two parts, namely—

(i) the Audit and Inspection Note dealing with the general and important matters which require particular attention, and

(ii) the objection statement containing outstanding objections dealing with minor and technical irregularities.

(2) Copies of Audit and Inspection Note shall also be sent to such officers and authorities as may be considered necessary by the Director.

(3) The Director shall prepare or cause to be prepared a consolidated audit report of accounts and shall forward it to the State Government every year for being laid before each House of the State Legislature.

Procedure to be followed after report of the Director under section 8.

9. (1) On receipt of the report under section 8, the Principal Officer of the local authority shall take immediate action and record replies within one month against each point raised therein showing the action taken or proposed to be taken thereon. Thereafter, the audit report along with the comments of the Principal Officer shall be considered and decision taken in a special meeting of the local authority concerned to be held within three months from the date of receipt of the audit report.

(2) It shall be the duty and responsibility of the Principal Officer to see that the defects and irregularities pointed out in audit notes and objection statement are removed or settled promptly and with due despatch.

(3) An annotated copy of the audit report along with the comments of the Principal Officer and the decision of the local authority on each point shall be sent to the Director or the Officer appointed by him within one month of the holding of the meeting referred to in sub-section (1). The annotated copy will show against each para the name or names of officials responsible for irregularities and the action taken or proposed to be taken against them. Further correspondence regarding the disposal of audit objections shall be conducted directly between the local authority and the Director or the officer authorised by him.

(4) On receipt of the annotated copy of the audit note along with the comments of the Principal Officer and the decision of the local authority, the Director or the officer authorised by him in this behalf may, in respect of all or any of the matters dealt with in the report—

(a) accept the action taken by the local authority and settle the objection; or

(b) direct that the matter be further investigated at the next audit or at any earlier date; or

(c) hold that the defects or irregularities pointed out in the report or any of them have not been removed or remedied.

(5) If it is held that any defect or irregularity in the accounts of the local authority pointed out in the report has not been removed or remedied within a reasonable time the Director may specially bring the matter to the notice of the Prescribed Authority and the State Government, and the State Government may subject to any law for the time being in force, direct any such action as may be considered necessary, namely—

(1) prosecution of any person responsible for the defect or irregularity as the case may be;

(2) dissolution of the local authority;

(3) supersession of the local authority;

(4) suspension of the grant-in-aid to such local authority,

(5) departmental enquiry against any officer or servant of the local authority;

(6) removal of the Principal Officer of the local authority.

(6) While recommending action under sub-section (5), the Director shall invite special attention to any information which appears to him to support a charge of criminal misappropriation or fraud or which in his opinion requires special attention or immediate action.

10. (1) If after giving the person concerned a reasonable opportunity for showing cause the Director is satisfied that the loss, waste or misapplication of any money or property of the local authority, is a direct consequence of misconduct on the part of delinquent person, or gross neglect on his part, or that the said person being a party to making, or authorising the making of the illegal payment, the Director, notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, may, by order in writing, direct such person to pay to the local authority before a specified date the amount together, with interest thereon, as may be found just and equitable to reimburse the local authority for such loss, waste or misapplication of its money or property :

Director to surcharge illegal payment or loss caused by gross negligence or misconduct.

Provided firstly, that no order of surcharge shall be made under this Act against any Principal Officer, member or servant of any local authority after the expiry of ten years from the occurrence of such loss, waste or misapplication of money or property or after expiry of six years from the date of his ceasing to be a Principal Officer, member or servant of the local authority whichever is later.

Provided secondly, that in the case of loss, waste or misapplication of money or property occurring as a result of a resolution of a local authority or of any of its committees or sub-committees, the amount of the loss to be recovered shall be divided equally among all members including office bearers who are reported in the minutes of the local authority or of its committees or sub-committee as having voted for or who remained neutral in respect of such resolution :

Provided, thirdly, that in the case of superseded local bodies, if loss waste or misapplication of money or property is due to any action of the Administrator or officer in charge who is a Government servant, the matter shall be reported by the Director to the State Government for necessary action :

Provided, fourthly, that the liability of a legal representative of a deceased delinquent person shall be to the extent of the property of the deceased which has come to the hands of such legal representative.

(2) If the person to whom a copy of the decision is furnished under sub-section (1) refuses to receive it, he shall be deemed to have duly received it on the day on which the copy was refused by him.

(3) If he is not available at the time of final order its gist along with the operative portion shall be sent to him at his last known address by registered post or shall be affixed at his last known residence and shall be proclaimed by beat of drum in the locality and this will give rise to a presumption of due service.

Appeal against order of surcharge.

11. (1) Any person aggrieved by an order made under sub-section (1) of section 10 may within thirty days from the date of receipt of the order by him, prefer an appeal in the prescribed manner to the Commissioner having jurisdiction in the area in which the principal office of the local authority is situate.

(2) The Commissioner, while hearing an appeal preferred under sub-section (1), follow such procedure as may be prescribed.

(3) The order passed by the Commissioner in appeal under this Act shall be final.

Recovery of charges as arrears of land revenue.

12. The sum stated in the order of surcharge under section 10 or section 11 as the case may be shall be paid by the person surcharged within sixty days of the date of the order, and, if not so paid, may on the application of the Director be recovered by the Collector as arrears of land revenue and deposited in the fund of the local authority, in the manner prescribed.

Payment of charges etc.

13. All expenses incurred by a local authority in compliance with any requisition made by the auditor under sub-section (1) of section 6 or by the Director under sub-section (4) of section 6 shall be payable out of the Funds of that local authority.

Director, Auditor etc. to be public servant.

14. The Director and Officers and Auditors working under the Director and exercising or authorised to exercise powers under this Act or the rules made thereunder shall be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (No. 45 of 1860).

Bar of suits.

15. Save as otherwise provided in this Act, no suit or other proceedings shall be brought in any civil court to call in question any order lawfully made by any authority under this Act.

Protection for acts done in good faith.

16. No suit, prosecution or other proceedings shall lie against the State Government, Director or any other officer, auditor or subordinate to the Director for anything in good faith done or purporting to have been done under this Act.

Inspections of records by the Inspector.

17. (1) The State Government may, by notification, appoint such persons as it thinks fit to be Inspectors from amongst the officers appointed under section 3 for the purposes of this Act, and define the local limits of their jurisdiction.

(2) Subject to any rules made in this behalf, an Inspector may, within the local limits of his jurisdiction—

(a) enter, at all reasonable hours, with such assistance, if any, of persons in the service of the Government or any local or other public authority as he thinks fit and as approved by the Director or the person authorised by him, any premises or place for the purpose of examining any register or record or papers in connection with the audit proceedings under the orders of the Director, Auditor, or any other person in charge of the audit proceedings, and require the production thereof for inspection ;

(b) interrogate any person on the spot to elicit information;

(c) seize or take copies or sign such record or papers as may be necessary to carry out the directions of his superior officers;

(d) exercise such other powers as may be prescribed.

(3) Any person required to produce any document or thing or to give any information required by the Inspector under sub-section (1) shall be deemed to be legally bound to do so within the meaning of section 175 and section 176 of the Indian Penal Code.

(4) The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act II of 1974), shall, so far as may be, apply to any search or seizure under sub-section (1) as they apply to any search or seizure made under the authority of a warrant issued under section 94 of the said Code.

18. For the purpose of any examination or audit under this Act, the Director or the Auditor and for purpose of appeal the appellate authority shall have the same powers as vested in a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 (Act No. V of 1908), when trying a suit in respect of the following matters, namely—

Miscellaneous.

- (a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath ;
- (b) issuing commissions ;
- (c) receiving evidence on affidavits ;
- (d) requiring the discovery and production of documents
- (e) any other matter which may be prescribed.

19. Any proceeding relating to surcharge, pending under any law for the time being in force immediately before the commencement of this Act, shall be disposed of, and any order passed in any such proceeding shall be enforced, in accordance with such law as if the provisions of this Act were not in force.

Savings.

(2) Save as provided in sub-section (1) all proceedings relating to surcharge in respect of any local authority to which this Act applies, shall, after the commencement of this Act, be taken and disposed of under this Act, notwithstanding anything to the contrary contained in any law for the time being in force.

20. (1) The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.

Power to make rules.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or on any of the following matters, namely—

- (a) to regulate notification of the local authority accounts of which are to be audited by the Director;
- (b) the rate of audit fee to be paid by the local authority for audit of accounts under sub-section (3) of section 4 of the Act, and the mode of its payment and realisation;
- (c) the form and the manner in which accounts shall be submitted for audit;
- (d) the powers and duties of auditor and the procedure to be followed for conducting audit and the time and places at which such audit may be conducted;
- (e) the powers and duties of the Director;
- (f) enquiry, appeal and recovery in respect of surcharge;
- (g) inspection of records by the Inspector.

By order.

G. B. SINGH,
Sachiv.